महत्वपूर्ण एवं खास

पोषण देखरेख पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला कल

रायगढ़। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की अस्थायी रूप से पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पोषण देखरेख कार्यक्रम के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन 29 सितम्बर 2022 को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रात:10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा।

जिले में 1156.8 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 27 सितम्बर तक 1156.8 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 2 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 1384.1 मिली मीटर, पुसौर में 1438.4, खरसिया में 1127.5, सारंगढ़ में 1344.9, बरमकेला में 1033.8, घरघोड़ा में 921.9, तमनार में 1196.5, लैलूंगा में 1170.7, धरमजयगढ़ में 1079.4, सरिया में 1100.2 एवं छाल में 927.5 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक आज

रायगढ़। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं समस्याओं के समाधान व सुझाव हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक 28 सितम्बर को दोपहर 12.15 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आहूत की गई है।

प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन कल

रायगढ़। निजी क्षेत्र की रिक्तियों में प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए 29 सितम्बर को प्रात: 10 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र मरीन ड्राइव एसईसीएल रोड रायगढ़ में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक आवेदक समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होकर प्लेसमेंट कैम्प में भाग ले सकते है। प्लेसमेंट कैम्प में जिन पदों में भर्ती की जाएगी। इनमें मे.एयरटेल पेमेंट बैंक रायगढ़ में ग्रामीण बैंक मित्र/एक्वीजिशन बिजनेस डेवलपमेंट एक्जीक्युटिव के 10 पद रिक्त है। इसी तरह मे.महावीर एनर्जी एंड कोल बेनिकेशन लि.रायगढ़ में टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन एवं इलेक्ट्रीशियन के 01-01 पद तथा मे.महिन्द्रा ऑटोमोटिव रायगढ़ में टेक्नीशियन में 5 पद, इलेक्ट्रीशियन में 2 पद, कम्प्यूटर टेक्नीशियन में 01 पद तथा हेल्पर में 5 पद रिक्त है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

थाना प्रभारी ने झगड़ेलू प्रवृत्ति के युवकों की लगाई क्लास

रायगढ़। एसपी रायगढ़ अभिषेक मीणा द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध कारोबार, जुआ-सट्टा और अवैध शराब की खरीदी-बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं त्यौहारों के मद्देनजर जितने भी गुंडे-बदमाश, झगडेलू प्रवृत्ति के लोग निवासरत हैं, उन्हें थाना बुलाकर समझाइश देने निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में आज कोतरारोड़ थाना प्रभारी गिरधारी साव ने किरोड़ीमलनगर क्षेत्र के 21 ऐसे युवकों को तलब किया गया जो पूर्व में झगड़ा, मारपीट की वारदातों में संलग्न रहे हैं, जिन्हें पुलिस सहायता केन्द्र किरोड़ीमलनगर में कड़े शब्दों में समझाइश दिया गया है कि वर्तमान में आप सभी की गतिविधियों पर पुलिस निगाह रखे हुये है, आने वाले त्यौहार में अगर किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आई तो कड़ी कार्रवाई की जावेगी। थाना प्रभारी युवकों को समझाइश के माध्यम से किरोड़ीमल नगर क्षेत्र के बाशिंदो को संदेश दिया गया कि झगड़ा, मारपीट से दूर रहे तथा आपके आसपास ऐसी कोई घटना होती है तो डॉयल 112, पुलिस कंट्रोल रूम के नम्बर 94791-93299, थाना प्रभारी कोतरारोड़ के नम्बर 94791-93211 पर कॉल कर तत्काल सूचना देवें।

फ्लाईएश का समुचित निपटान पॉवर प्लांट्स की जिम्मेदारी - कलेक्टर

- प्लांट्स को देनी होगी उत्पादित फ्लाईएश की मात्रा, परिवहन करने वाले वाहन, निपटान के तरीकों के बारे में पूरी जानकारी
- मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित करने कलेक्टर ने दिए निर्देश
- कलेक्टर साहू ने फ्लाईएश निपटान के संबंध में ली पॉवर प्लांट्स प्रतिनिधियों की बैठक

रायगढ़। कलेक्टर रानू साहू ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के पॉवर प्लांट्स के प्रतिनिधियों की फ्लाईएश निपटान के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि फ्लाईएश का समुचित निपटान पॉवर प्लांट्स की जिम्मेदारी है। उन्हें गाईड लाईन्स के अनुसार निर्धारित स्थानों और तरीकों से ही फ्लाईएश का निपटान करना है, ऐसा नहीं किए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर साहू ने सभी प्रतिनिधियों से कहा कि उनके प्लांट में प्रतिदिन उत्पादित फ्लाईएश की मात्रा, निपटान के लिए परिवहन करने वाले वाहनों की जानकारी तथा किस विधि द्वारा फ्लाईएश का निपटान संबंधित प्लांट द्वारा किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश पर्यावरण अधिकारी को दिए।

बैठक में कलेक्टर साहू ने प्लांट प्रतिनिधियों से कहा कि जिले में फ्लाईएश के समुचित तरीके से निपटान नहीं किए जाने की लगातार शिकायतें आ रही है। यह पॉवर प्लांट्स को सुनिश्चित करना है कि उनके यहां उत्पादित फ्लाईएश का सही तरीके से निपटारा हो। उन्होंने कहा कि उत्पादित किए जा रहे फ्लाईएश के साथ उसे निपटान के लिए किन वाहनों से भेजा जा रहा है यह जानकारी देनी होगी। संबंधित वाहन में जीपीएस लगा हुआ हो, जिससे उसकी ट्रेकिंग की जा सके। फ्लाईएश का निपटान यदि भूमि भराव के द्वारा किया जा रहा है तो उसके लिए एनओसी प्राप्त निर्धारित जगहों पर ही उसे डंप किया जाए। परिवहन के दौरान वाहन निर्धारित क्षमता में ही फ्लाईएश पूरी तरीके से ढंककर ले जाए। भूमि भराव पूर्ण होने के पश्चात उसके ऊपर उपजाऊ मिट्टी की परत भी बिछानी है तथा वहां प्लांटेशन भी करना है। भूमि भराव के अलावा यदि फ्लाईएश का उपयोग ईंट निर्माण के लिए भी किया जा रहा है तो उसकी भी पूरी जानकारी देनी होगी, साथ ही बताना होगा कि संबंधित एजेंसीज के पास फ्लाईएश ईंट निर्माण के लिए सारी अनुमतियां है। उन्होंने कहा कि फ्लाईएश के निपटान पर लापरवाही करने पर प्लांट्स, ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर नियमानुसार प्रति टन के हिसाब से पेनाल्टी लगाया जाएगा।

बैठक में पर्यावरण अधिकारी एस.के. वर्मा, सहायक अभियंता पर्यावरण पिस्दा सहित पॉवर प्लांट्स के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ट्रांसपोर्टरों की भी होगी जिम्मेदारी- कलेक्टर साहू ने सभी पॉवर प्लांट्स प्रतिनिधियों से कहा कि अपने ट्रांसपोर्टर्स को सेंसिटाइज करें कि तय मात्रा में ही निर्धारित स्थान पर ही फ्लाईएश डंप किया जाना है। उन्होंने कहा कि परिवहन करने वाली गाडियों में गेट पास के साथ सारे जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। जिन वाहनों की सूची पॉवर प्लांट्स द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी, उसके अतिरिक्त दूसरे वाहन में फ्लाईएश का परिवहन करते पाये जाने पर उस पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को अगले एक हफ्ते में यह सारी कार्ययोजना व्यवस्थित करने के निर्देश बैठक में दिए।

तीन पंचायत सचिव निलंबित

रायगढ़। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अबिनाश मिश्रा ने जनपद पंचायत धरमजयगढ़ अंतर्गत तीन पंचायत सचिव उमेश सिदार, कन्हैया लाल खडिय़ा एवं होलसाय सिदार को गोधन न्याय योजना एवं ग्राम पंचायत के कार्यो में रूचि नहीं लेने, पंचायत मुख्यालय में निवास नहीं करने, 15 वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि का अनियमित भुगतान करने, जीवित पेंशन हितग्राही का मृत्यु प्रमाण-पत्र करने एवं अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण प्रथम दृष्टियां दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उक्त तीनों पंचायत सचिव को मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत धरमजयगढ़ में अटैच किया गया गया है।

ज्ञात हो कि जनपद पंचायत धरमजयगढ़ ग्राम पंचायत जगालमौहा के पंचायत सचिव उमेश सिदार जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने, पंचायत मुख्यालय में निवास नहीं करने, ग्राम पंचायत के कार्यों में रूचि नहीं लेने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवलेहना करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए प्रथम दृष्टियां दोषी पाये गये थे। जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत सोनपुर के पंचायत सचिव कन्हैयालाल खडिय़ा के द्वारा राष्ट्रीय त्यौहार में मुख्यालय पंचायत से अनुपस्थित रहने, गोधन न्याय योजना के कार्यो में लापरवाही बरतने, ग्रामवासियों से अभद्र व्यवहार करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए प्रथम दृष्टियां दोषी पाये गये थे। जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत ठाकुरपोड़ी के पंचायत सचिव होलसाय सिदार पंचायत मुख्यालय में निवास नहीं करने, जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने, गोधन न्याय योजना के कार्यो में रूचि नहीं लेने, 15 वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि का अनियमित भुगतान करने, जीवित पेंशन हितग्राही का मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए प्रथम दृष्टियां दोषी पाये गये थे।

आयुष विभाग में योगा वेलनेस सेंटर प्रारंभ

रायगढ़। जिला मुख्यालय रायगढ़ में योगा वेलनेस सेंटर की स्थापना की गयी है। यह सेंटर शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, रायगढ़ के परिसर में संचालित है। जिसमें विभिन्न रोगों के निवारण एवं स्वस्थ संरक्षण हेतु योगा अभ्यास योग चिकित्सक के मार्गदर्शन में कराया जाता है। योगाभ्यास मार्गदर्शन हेतु एक योग चिकित्सक एवं एक योगा सहायक की नियुक्ति की गई है। अभी योग सेंटर में प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से 9 बजे तक जनसामान्य हेतु नि:शुल्क योगाभ्यास कराया जाता है। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में आने वाले में बाह्य रोगी विभाग ओपीडी मरीजों को योग परामर्श हेतु प्रात: 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक योग चिकित्सक उपलब्ध रहते है। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ.मीरा भगत ने नागरिकों से अधिकाधिक संख्या में योगा वेलनेस सेंटर आकर नि:शुल्क योगासन एवं ध्यान अभ्यास का लाभ लेने हेतु आग्रह किया है।

टेट परीक्षा में नंदेली में नकल प्रकरण की जांच हुई पूरी

दोषियों पर हुई कड़ी कार्यवाही

रायगढ़। 18 सितंबर को हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में परीक्षार्थी धनंजय चौहान ने परीक्षा केंद्र नंदेली में परीक्षा केंद्राध्यक्ष और डयूटीरत शिक्षकों पर परीक्षा में नकल कराए जाने के गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत कलेक्टर रायगढ़ व जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ से भी की थी। गृह ग्राम नंदेली के परीक्षा केंद्र में नकल कराए जाने की शिकायत के संज्ञान में आते ही उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी. आदित्य को शिकायत जांच के सख्त निर्देश दिए थे जिस पर डीईओ आदित्य ने विगत दिनों परीक्षा केंद्र स्थल नंदेली पहुंच कर प्रकरण की गंभीरता से जांच प्रारंभ की थी। नकल कराए जाने की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य द्वारा अपनी जांच पूरी कर, जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट कलेक्टर रायगढ़ को सौंपी गई थी। जांच में दोषी पाए गए संबंधितों पर कलेक्टर रायगढ़ के अनुमोदन पश्चात कड़ी कार्यवाही की गई है। नंदेली परीक्षा सेंटर के ऑब्जर्वर उत्तरा कुमार सिदार के खिलाफ कलेक्टर जिला रायगढ़ के द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर को संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पत्र जारी किया गया है। जांच में ऑब्जर्वर उत्तरा कुमार सिदार को नकल प्रकरण, प्रोफार्मा-03 में तैयार किए जाने के बावजूद भी, व्यापम छत्तीसगढ़ रायपुर को जानकारी नहीं भेजने संबंधी कृत्य में संलिप्त होना पाया गया है। मदन कुमार पटेल प्रभारी प्राचार्य/केंद्राध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कलेक्टर जिला रायगढ़ के द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर को संबंधित की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु पत्र जारी किया गया है। मदन कुमार पटेल (केंद्राध्यक्ष) के द्वारा नकल प्रकरण बनाने एवं परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक बदलने आदि की जानकारी उच्चाधिकारियों को नहीं दी गई और ना ही, नकल प्रकरण जो प्रोफॉर्मा-3 में तैयार की गई थी उसे पंजीबद्ध कर व्यापम छत्तीसगढ़ रायपुर को भेजा गया। केंद्राध्यक्ष मदन कुमार पटेल द्वारा तथ्य को छुपाते हुए नकल प्रकरण को दबाए जाने की पुष्टि होना पाया गया है। वहीं पर्यवेक्षक सुनीता एक्का के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कलेक्टर जिला रायगढ़ के द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर को संबंधित को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने हेतु पत्र जारी किया गया है। पर्यवेक्षक सुनीता एक्का द्वारा परीक्षा के दौरान बार-बार परीक्षार्थी भुनेश्वर चौधरी एवं प्रियंका पटेल, संदिग्ध परीक्षार्थियों से बात करना, सामग्री का आदान प्रदान करना जो कि पर्यवेक्षक के कर्तव्य के विपरीत होने जैसे कृत्य की पुष्टि होना पाया गया व इनके द्वारा नकल प्रकरण प्रोफार्मा-3 में हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात भी बयान में जानकारी छुपाए जाने के कृत्य की पुष्टि हुई है। वहीं पर्यवेक्षक राजेंद्र पटेल, सहायक शिक्षक एलबी पर कार्यवाही करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पर्यवेक्षक राजेंद्र पटेल के द्वारा परीक्षा के दौरान बार-बार परीक्षार्थी भुनेश्वर चौधरी व प्रियंका पटेल, संदिग्ध परीक्षार्थियों से बात करना, सामग्री का आदान प्रदान करना जो कि पर्यवेक्षक के कर्तव्य के विपरीत होने जैसे कृत्य की पुष्टि होना व नकल प्रकरण प्रोफार्मा-3 के भराए जाने के पश्चात भी बयान में जानकारी छुपाए जाने जैसे कृत्य की पुष्टि होना पाया गया है। विदित हो कि परीक्षार्थी प्रियंका पटेल के द्वारा परीक्षा के द्वारा अनुचित साधन का उपयोग करने के फलस्वरूप नकल प्रकरण प्रोफार्मा-3 बनाया गया, जिसकी प्रति संलग्न कर संबंधित के विरुद्ध नकल प्रकरण अंतर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु कलेक्टर जिला रायगढ़ के द्वारा सचिव, व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर को संबंधित के विरुद्ध नकल प्रकरण अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु पत्र जारी किया गया है तथा भुनेश्वर चौधरी जो कि जुलाई 2022 से उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं, जिनके द्वारा पूर्व माध्यमिक टेट परीक्षा-2019 में उत्तीर्ण कर लिया गया था, उनके द्वारा पुन: 2022 की टेट परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं थी, बावजूद इसके द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षार्थी प्रियंका पटेल को नकल सामग्री प्रेषित किए जाने की पुष्टि होने के फलस्वरूप जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन से संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा एवं जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर को संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पत्र जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि टेट परीक्षा 2022 में नंदेली सेंटर में नकल कराए जाने संबंधी शिकायत की जांच आर.पी.आदित्य जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़, डी.अग्रवाल सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ एवं एस.के. कर्ण नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति के द्वारा की जा रही थी। जिसके अंतर्गत दिनांक 21 सितंबर 2022 को स्थल परीक्षण करते हुए टेट परीक्षा से संबंधित दस्तावेज संग्रहित करते हुए परीक्षा केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं शिकायतकर्ता के लिखित बयान लिए गए थे।

अक्टूबर से जिले में लगेंगे वृहत स्वास्थ्य शिविर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी रहेंगे मौजूद

- कलेक्टर साहू ने समय-सीमा की बैठक में स्वास्थ्य विभाग को तैयारियों के दिए निर्देश

रायगढ़। जिले के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को विस्तार देने और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता हेतु कलेक्टर रानू साहू की पहल पर जिले में वृहत स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होने जा रहा है। यह शिविर अक्टूबर माह से लगाए जाएंगे। कलेक्टर साहू ने स्वास्थ्य विभाग के साथ सीईओ जनपद तथा अन्य संबंधित विभागों को इसके लिए आवश्यक तैयारियों में जुटने के निर्देश आज समय-सीमा की बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सेवाएं ली जाएं। जिस ग्राम में यह शिविर आयोजित हो उसके आस-पास के गांवों के लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे। कलेक्टर साहू ने शिविर की रूप रेखा पर चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि शिविर दिनांक से पहले संबंधित गांव के साथ आस-पास के गांवों का मितानिनों से हेल्थ सर्वे करवाएं। जिससे गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांगों की पहचान हो सके और उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।

कलेक्टर साहू ने समय-सीमा की बैठक में शासकीय योजनाओं की प्रगति के साथ विभागीय काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने पिछले दिनों भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विभागीय कार्यों का पूरी गंभीरता से क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने सभी फ्लैगशिप योजनाओं के प्रगति के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि योजनाओं की ग्रामवार जानकारी तैयार की जाए। जिससे हितग्राहियों को मिल रहे लाभ और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की जानकारी अद्यतन रहे।

कलेक्टर साहू ने भूमिहीन श्रमिकों के किश्तों के भुगतान के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि हितग्राहियों को किश्तों का भुगतान हो रहा है। कुछ हितग्राही जिनके खातों में त्रुटि है उसे सुधार के लिए भेजा गया। कलेक्टर साहू ने ऐसे त्रुटियों का जल्द सुधार कर हितग्राहियों का भुगतान करवाने के निर्देश सभी सीईओ जनपद को दिए। उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट निर्माण के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गौठानों में खरीदी नियमित रुप से की जाए। उन्होंने कंपोस्ट निर्माण के भुगतान की भी समीक्षा की। कलेक्टर साहू ने मुख्यमंत्री मितान योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि आवेदकों को समय पर उनके प्रमाण पत्र बनकर मिलने चाहिए। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र निर्माण के लिए भी शिविर आयोजित करने के लिए कहा और साथ ही सभी गांवों में नवजात बच्चों के जाति प्रमाण पत्र प्राथमिकता से उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, डीएफओ रायगढ़ स्टायलो मण्डावी, डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राजीव युवा मितान क्लब का गठन करें पूर्ण, सदस्यों को जोड़ें रचनात्मक गतिविधियों से

कलेक्टर साहू ने राजीव युवा मितान क्लब के गठन के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने शेष बचे क्लब्स का गठन पूरा कर सदस्यों को रचनात्मक गतिविधियों से जोडऩे के निर्देश दिए। आगामी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में भी उनकी सहभागिता की बात खेल अधिकारी से कही।

छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक की तैयारियों को लेकर भी दिए निर्देश9

स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने 06 अक्टूबर से छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। इसके संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर साहू ने सभी एसडीएम, सीईओ जनपद और नगरीय निकाय के अधिकारियों को खेल अधिकारी से समन्वय कर विभिन्न स्तर पर आयोजनों को तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसमें शामिल खेलों के लिए प्रतिभागियों के चयन व प्रतियोगिता का आयोजन करवाने में शिक्षा विभाग से खेल प्रशिक्षकों का सहयोग लेने के लिए कहा।

ब्लड डोनेशन मेगा शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने किया ब्लड डोनेट

रायगढ़। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत भारतीय डाक विभाग द्वारा आज रायगढ़ के पंचायती धर्मशाला में सेवा ब्लड बैंक एवं चिकित्सक टीम रायगढ़ के सहयोग से ब्लड डोनेशन मेगा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अधीक्षक डाकघर सरजीत सरकार के द्वारा किया गया। इस मौके पर सर्वश्री वीरेन्द्र गोड़, विकास मेहर, विमल अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, प्रवीण बंसल एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डाक सुविधा का लाभ लेने पहुंचे ग्राहकों को भी जागरूक किया गया। आगामी 30 सितम्बर 2022 को प्रधान डाकघर रायगढ़ संभाग के समस्त डाकघरों में सुकन्या समृद्धि महोत्सव मनाया जाएगा।

इस मौके पर सर्वश्री सरजीत सरकार, शशांक शेखर तिवारी, दामोदर साहू, ओमप्रकाश सिंह, प्रदीप, राजेश चौधरी, यशपाल सिंह जांगड़े, फनेन्द्र शर्मा, निखिल गोपाल, रूद्रेश सा, कुबेर नायक, बोधिराम यादव, टिकेश्वर साहू, तुषार दुबे, विवेक रंजन तिवारी, प्रेमलाल नायक, राजेश राठौर, सुरेश रात्रे, बीभय राज, प्रवीण कुमार, संगम शुक्ला, छत्र कुमार साहू, सुनील कुमार टंडन, हेमंत पटेल, मिनकेतन पटेल, प्रकाश नायक, इंद्रजीत यादव, रेवती साहू, जय किशन नागवंशी, विनय कुमार दास, मधुसूदन, नारायण नायक, अनूप श्रीवास्तव व अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा ब्लड डोनेट किया गया।

जिंदल कोल साईडिंग में मिले अज्ञात शव की देवगढ़ के युवक के रूप में हुई शिनाख्त

- राउलकेला थाने में परिजनों ने दर्ज कराई थी युवक के अपहरण की रिपोर्ट
- परिजन और ओडिशा पुलिस के समक्ष हुई शव पहचान व पंचनामा कार्यवाही
- राउलकेला पुलिस करेगी आगे की जांच

रायगढ़। जिंदल कंपनी के कोयला साईडिंग पतरापाली में दिनांक 26.09.2022 को पारादीप, ओड़िशा से पहुंची कोयले की रेक में अज्ञात पुरूष का शव मिला था। कोतरारोड़ पुलिस द्वारा 15 घंटे भीतर अज्ञात मृतक के परिजनों का पता लगाकर आज मृतक के परिजनों और ओड़िशा राउलकेला पुलिस के समक्ष शव पहचान पंचनामा कार्रवाई कराया गया है।

थाना प्रभारी कोतरारोड़ उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा घटना के संबंध में थाना कोतरारोड़ में दर्ज मर्ग क्रमांक 59/2022 धारा 174 CrPC की जांच कार्यवाही तथा कोयला साईडिंग वैगन ट्रिपल यार्ड, पतरापाली के कोल रेक की CCTV फुटेज प्राप्त कर एसपी अभिषेक मीणा को अवगत कराया गया। घटना को लेकर एसपी मीणा द्वारा ओडिशा के परादीप सहित ओड़िशा के कई जिलों के एसपी से चर्चा किये और उन्हें मृतक के फोटो, कोयला साईडिंग के विडियो शेयर किये जिस पर जिला राउलकेला, ओड़िशा के प्लांट साइट थाने में मृतक के हुलिये से मिलान होने वाले एक युवक के अपहरण का मामला दर्ज होने की जानकारी मिली। आज सुबह थाना प्लांट साइट, राउलकेला (ओडिशा) के स्टाफ थाना प्लांट साइट के अप.क्र. 380/2022 धारा 364 IPC के अपहृत युवक श्रीनिवास राव पिता एवं अशोक राव उम्र 20 साल निवासी हतिसाल, थाना व जिला देवगढ़ (ओडिशा) के परिजनों को साथ लेकर आये। अपहृत युवक के परिजन अज्ञात शव की पहचान श्रीनिवास राव के रूप में किये और बताये कि दिनांक 24.09.2022 को श्रीनिवास के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिये जाने की रिपोर्ट थाना प्लांट साइट, राउलकेला दर्ज कराये हैं। आगे थाना प्लांट साइट पुलिस द्वारा युवक श्रीनिवास राव के संबंध में दर्ज अपहरण मामले में अग्रिम विवेचना कार्रवाई किया जावेगा।

दूसरे के सहारे जनदर्शन में पहुंचे थे दिव्यांग, मिला ट्रायसाइकिल का सहारा

- जनदर्शन में पहुंचे 150 से अधिक आवेदन, कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों को संबंधित आवेदन पर तत्काल निराकरण के दिए निर्देश

रायगढ़। बरमकेला और सरिया विकासखण्ड से दूसरों के सहारे दूरी तय करके जनदर्शन में पहुंचे दिव्यांगो ने सोचा नहीं होगा कि चंद मिनटों में उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और वो जब लौटेंगे तो दूसरे की सहारा की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आज रायगढ़ के सृजन सभाकक्ष में आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर रानू साहू ने उनकी समस्या से अवगत होते ही विकासखंड सरिया के ग्राम पंचधार निवासी शकुंतला पटेल एवं विकासखण्ड बरमकेला के ग्राम पिरहा निवासी जीवन निषाद को तत्काल ट्रायसाइकिल प्रदान करने के निर्देश समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को दिए। जिसके पश्चात जनदर्शन में ही दोनों दिव्यांगों को ट्रायसाइकिल प्रदान किया गया। इस दौरान उन्होंने जीवन निषाद के दिव्यांगता को देखते हुए पुन: मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच के निर्देश दिए, ताकि उन्हें मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल का लाभ मिल सके। इस दौरान दोनों हितग्राहियों ने उनकी समस्या के निराकरण करने पर कलेक्टर साहू को अपना धन्यवाद ज्ञापित किया।

जनदर्शन में लगभग 150 से ऊपर लोग अपनी मांगों एवं समस्याओं के संबंध में आवेदन लेकर आये थे। कलेक्टर साहू ने सभी आवेदनों को देखा और संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर साहू ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में जो भी आवेदन आते है उसे तुरंत निराकृत करते हुए कलेक्टर कार्यालय एवं संबंधित आवेदकों को भी सूचित करें। जिससे आवेदक को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा, आयुक्त नगर निगम संबित मिश्रा सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जनदर्शन में विकासखण्ड खरसिया ग्राम तिलाईपाली निवासी सरस्वती चौहान ने राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि के संबध में आवेदन लेकर आई थी, उनका कहना था कि उनके पति का देहांत हो चूका है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ग्राम पंचायत में आवेदन किया था, लेकिन आज तक पेंशन नहीं मिला। जिस पर कलेक्टर साहू ने सीईओ जनपद खरसिया को जांच के निर्देश दिए। कोष्टा पारा पैलेस रोड निवासी सुमित्रा मेहर ने सहारा इंडिया में जमा राशि के संबंध में आवेदन लेकर जनदर्शन में आई। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों के नाम पर राशि जमा की गई है। वर्तमान में पैसे की अत्यन्त आवश्यकता है। जिस पर कलेक्टर से आवेदन पर संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।

ग्राम तारापुर निवासी नानदाई डनसेना ने विकलांग पेंशन का आवेदन लेकर आयी थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी मानसिक रूप से कमजोर है, जिसके पश्चात उनका विकलांग प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। पेंशन के संबंध में ग्राम पंचायत में आवेदन भी दिया गया है लेकिन आज पर्यंत तक पेंशन राशि प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने विकलांग पेंशन दिलवाने के संबंध के कलेक्टर से निवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर साहू ने आवेदन के संबंध में संबंधित अधिकारी को जांच कर पेंशन की जानकारी लेने के निर्देश दिए।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480